

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील कुमार । (RAS)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 123/2024 GCMS 2024/278

प्रार्थी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी(तहसीलदार) कुचामन सिटी

अप्रार्थीगण:-

1. प्रथम बंसल पुत्र राजकुमार जाति अग्रवाल
2. मदन सिंह मेड़तिया पुत्र सलाब सिंह जाति राजपूत
3. रोहित अग्रवाल पुत्र बजरंग लाल जाति अग्रवाल
4. साहिल अग्रवाल पुत्र महेश अग्रवाल समस्त निवासी कुचामन सिटी
5. उप पंजीयक कुचामन सिटी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित



धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908

उपस्थित :- राजपैरोकार

वकील श्री ऋषभ शर्मा अप्रार्थीगण की ओर से

-:निर्णय :-

दिनांक :- 05/02/2025

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी(तहसीलदार) कुचामन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 के द्वारा ग्राम सीतापुर के खसरा नम्बर 1185/760 रकबा 2.0967 हैक्टर किस्म चाही प्रथम की भूमि कृषि प्रयोजन से असंगत वाणिज्यिक में उपयोग में लेकर कृषि की उर्वरक क्षमता को भारी नुकसान कारित किया है, अप्रार्थीगण का यह कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों का स्पष्टतया उल्लंघन है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा में से 2.0967 हैक्टर कृषि भूमि हानिप्रद गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के कारण अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उसके खातेदारी की कृषि भूमि को सिवायचक राजकीय भूमि घोषित किये जाने योग्य होने के रिसीवर नियुक्त कराने एवं अस्थाई निषेधाज्ञा कार्यवाही हेतु यह आवेदन  करना आवश्यक है।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 05 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सीतापुर के खसरा नम्बर 1185/760 रकबा 2.0967 हैक्टर में अप्रार्थीगण की कब्जाशुदा, खातेदारीशुदा की भूमि आई हुई है। जिस पर अप्रार्थीगण ने अज्ञानतावश नियम कानूनों की जानकारी के अभाव में बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के भूमि का संपरितर्वन करवाये बिना कृषि भूमि का अकृषि कार्य हेतु प्रयोग किया गया। जो कानूनी भूल है व उपरोक्त खसरा नम्बर 1185/760 की भूमि का अकृषि उपयोग की भूमि सुधार करने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के अंतर्गत विहित प्राधिकारी को नियमानुसार शुल्क व शास्ती जमा करवाकर भूमि संपरिवर्तन करवाने हेतु अप्रार्थीगण वचनबद्ध है।

राजपैरोकार व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व वकील अप्रार्थीगण ने जवाब को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में राजहित होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होने तथा अपूरणीय क्षति व सुविधाओ के संतुलन को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश :-

ग्राम सीतापुर तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 1185/760 रकबा 02.0967 हैक्टर के संबंध में दिनांक 07.10.2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला पुख्ता की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार I.R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डी.डी.बाना-कुचामन)